

14.06.2018

प्रकरण क्रमांक 92 / 2013 विद्युत

परिवादी द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता  
उपस्थित।

आरोपी राजेन्द्र बाबू पूर्व से अनुपस्थित।

परिवादीपक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने  
मामलें में अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी  
किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि  
अभियुक्त अंकित पते पर से किसी अज्ञात स्थान पर चला गया  
है और उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है।

प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट  
भी अदम तामील प्राप्त हुआ है तथा पूर्व में भी अनेक बार  
अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद  
भी अभियुक्त की मामले में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हुई है।

अदम तामील प्राप्त हुए वारंट से संबंधित तामील  
कुलिंदा कमल सिंह आज न्यायालय के समक्ष फरारी कथन  
हेतु उपस्थित हैं। अतः उसके फरारी कथन अंकित किये गये।

तामील कुलिंदा द्वारा भी अपने कथनों में बताया गया  
है कि उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के भरसक  
प्रयास किये गये हैं किंतु आरोपी के फरार हो जाने से उसकी  
गिरफ्तारी संभव नहीं हुई है तथा निकट भविष्य में उसके  
मिलने की कोई संभावना भी नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामलें की समस्त परिस्थितियों के  
आलोक में उक्त निवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार कर  
न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध  
स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे और प्रभावी तामीली  
के निर्देश दिये जावें।

प्रकरण का परिणाम अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल  
अभिलेखागार हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद  
जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु पत्रिका में  
(शासकीय / विधिक उपस्थिति हेतु)